रजिस्ट्री सं० डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1985/फाल्गुन 2, 1906
No. 44] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1985/PHALGUNA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 85-आईटीसी (पीएन)/84-85

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1985

विषय :—त्रावणकोर उर्वरक व रासायनिक लि० (एफएसीटी) की अमोनिया सल्फेट और कैप्रोलेक्टम संयंत्र परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित 10.2 बिलियन येन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें ।

मिसिल सं० आईपीसी 23(7)/84-85:—त्रावणकोर उर्वरक और रासायनिक लि० (एफएसीटी) की अमोनिया सल्फेट और कैप्रोलेक्टम संयंत्र परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित 10.2 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन पर नियंत्रण रखने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 85-आईटीसी (पी एन)/84-85, दिनांक 21 फरवरी, 1985 का परिशिष्ट

त्रावणकोर उर्वरक व रासायनिक लि० (एफएसीटी) की अमोनिया सल्फेट और कैप्रोलेक्टम संयंत्र परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित 10.2 बिलियन येन के येन क्रेडिट के अधीन माल के आयात और सेवाओं के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड 1—सामान्य शर्तें :

1. (1) एफएसीटी की अमोनिया सल्फेट और कैप्रोलैक्टम सयंत्र परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित 10.2 बिलियन येन का येन क्रेडिट भारत और जापान सहित विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन प्राप्त किया जाने वाला माल और सेवाएं जापान से और अनुबन्ध 1 की सूची में निर्दिष्ट सभी देशो (भारत सहित) से अधिप्राप्त की जा सकती है जो कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1 (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्ही मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते है जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सो) का मूल्य 10.2 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नही होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78—आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 74 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में सकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सो) मे विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण स० आईडीपी—25" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस मे "एस/जेसी" कोड होगा। एफएसीटी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1. (3) लागत बीमा भाड़ा के आधार पर केवल एफएसीटी के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1. (4) एफएसीटी की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते है। लेकिन, कुल मूल्य 10.2 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नही होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1. (5) आयात लाइसेंस 24 महीनों की आरम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किए जाएंगे। आयात लाइसेंस की वैधता मे एफएसीटी द्वारा आवेदन करने पर आगे 12 महीने की वृद्धि की जा सकती है। इससे आगे वृद्धि के लिए नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन होंगे तो वे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजने चाहिए।

1. (6) क्रेडिट के अधीन वित्त दान किए जाने वाले आयात, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित सलग्न माल और सेवाओ की सूची तक प्रतिबन्धित है।

1 (7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नही दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए मे किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएगे।

1 (8) पक्के आदेश अनुबन्ध 1 मे उल्लिखित देशो में स्थित विदेशी सम्भरको को लागत बीमा भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनो की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिएं। बीमे के खर्चे का भुगतान भारतीय रुपए मे भारत में देय होगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी सम्भरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा किए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी सम्भरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी सम्भरक दोनो द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय सविदा हो। विदेशी सम्भरको के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश का ऐसे भारतीय अभिकर्ताओ द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1. (9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नही समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनो के भीतर वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–I अनुभाग को नहीं पहुंच जाते है। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) मे यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणो से नहीं दिए जा सकते है तो चार महीनो के भीतर आदेश क्यों नही दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनो की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है। लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरवाद रूप मे लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियो से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान

करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए सम्भरण ठेकों में साखपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, तुल्य रुपया जमा कराने आदि की अनुमति देंगे।

1. (10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी सम्भरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद .... महीने परन्तु अधिक से अधिक .... के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-88 के बाद की न हो।

खण्ड 2—सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2. (1) ठेके का लागत बीमा भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और सम्भरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2. (2) अमोनिया सल्फेट और केप्रोलेक्टम संयंत्र परियोजना के लिए ओईसीएफ येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और सलाहकार सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवाओं की अधिप्राप्ति निम्नलिखित अनुपूरक शर्तों के साथ अनुबन्ध 2 के रूप में संलग्न मार्ग-दर्शन के अनुसार की जाएगी :—

(क) आयातक ऋण की रकम से भिन्न रूप से वित्त-पोषित किए जाने वाले माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति पूर्व अर्हता के साथ औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से करेगा।

(ख) यदि आयातक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति की क्रियाविधियां अपनाना चाहता है तो वह विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अधिप्राप्ति की पद्धति के अनुमोदन के लिए निधियों को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके उससे पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ग) विज्ञापन और/या पूर्व अर्हता की अधिसूचना से पहले आयातक निधि को पूर्व अर्हता के दस्तावेज उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। पूर्व अर्हता प्राप्त व्यापार संस्थाओं का चुनाव कर लेने के बाद आयातक निधियों/उन व्यापार संस्थाओं की सूची अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और किए गए चुनाव के लिए कारण देते हुए सभी सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ चुनाव प्रक्रिया की रिपोर्ट भेजेगा।

(घ) (1) एक सौ मिलियन येन (येन 100,000,000) या इससे अधिक मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में आयातक बोलियां आमंत्रित करने से पहले निधि को उसके अनुमोदन के लिए बोलीकारों को दिए गए सभी नोटिस और अनुदेश, बोली के प्रपत्र, प्रस्तावित ठेके, विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। इस मामले में आयातक सफल बोलीकारों को निर्णय का नोटिस जारी करने से पहले निधि को उसके अनुमोदन के लिए बोलियों के विश्लेषण और निर्णय के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।

(2) बीस मिलियन येन (येन 20,000,000) से अधिक परन्तु एक सौ मिलियन येन (येन 100,000,000) से कम मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में आयातक को सम्बन्धित बोलियों के लिए निधि से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी परन्तु आदेश देने के बाद बोली से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(3) बीस मिलियन येन (येन 20,000,000) से कम मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति का मामला आयातक के निर्णय विवेक पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि उसकी अधिप्राप्ति कुल मिलाकर चार सौ मिलियन येन (येन 400,000,000) से अधिक नहीं होगी।

(4) अधिप्राप्ति मार्ग-दर्शन के खण्ड 4.09 की अन्तिम तीन पंक्तियां उपर्युक्त (2) और (3) के मामलों में नहीं मानी जाएंगी।

(5) आयातक (एफएमटी) ऊपर लिखित दस्तावेज ओईसीएफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।

(6) अधिप्राप्ति मार्गदर्शन के अनुच्छेद 5 का पूर्ण पैरा मान्य नहीं होगा।

(ङ) बोली के दस्तावेजों में उन देशों का उल्लेख होगा जो पात्र संसाधन देश हैं।

(च) बोलियों के मूल्याकन में किसी भी बोलीकार को अधिमानता की गुंजाइश नहीं दी जाएगी ।

(छ) यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि वित्त मंत्रालय. आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) द्वारा क्रय ठेको की ओ ई सी एफ को सूचना केवल ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों पर ओ ई सी एफ का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद दी जाएगी ।

2. (3) विदेशी सम्भरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1983-84 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईडीपी—25 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड 7 में दिया गया है ।

2. (4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही ठेका किया जाना चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2. (5) सम्भरक की पात्रता :

सम्भरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होगा ।

2. (6) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात :

जिस माल में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्त-दान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पादों में उनकी प्रति यूनिट कीमत के 30% से कम आयातित अंश हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयातक शुल्क}}{\text{सम्भरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

(भारतीय सम्भरक के मामले में माल की कारखाने पर कीमत अपनाई जाएगी) ।

2. (7) संविदा में घोषणा :

प्रत्येक संविदा में सम्भरकों द्वारा माल या अपनी पात्रता की निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सम्भारित किया जाने वाला माल ....में (पात्र स्रोत देश का नाम) उत्पादित हैं ।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{सम्भरण का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100\text{''}.$$

और

(जहां लागू हो वहां कारखाने पर कीमत)

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ....(पात्र स्रोत देश का नाम) में ....(कम्पनी का नाम) ....(पात्र स्रोत देश का नाम) में समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और...... ....(सम्बद्ध पात्र स्रोत देशों का नाम) के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।

खण्ड 3—संम्भरण ठेको में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें :

3. (1) सम्भरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच एफएसीटी की अमोनिया सल्फेट और केप्रोलेक्टम संयंत्र परियोजना के लिए येन क्रेडिट आईडीपी—25 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 11 सितम्बर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगी ।

(ख) सम्भरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आई डी पी—25 सम्बन्धित 11 सितम्बर 1984 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) विदेशी सम्भरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र (तीन प्रतियों में) ।

खण्ड 4—विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ)

4. (1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एफएसीटी और विदेशी सम्भरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी सम्भरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों, या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात

लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4. (2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

4. (3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग, एफ ए सी टी की अमोनिया सल्फेट और केप्रोलेक्टम परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई डी पी—25 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्त दान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

खण्ड 5—विदेशी सम्भरकों को भुगतान—साख-पत्र क्रियाविधि

5. (1) ओ ई सी एफ से ठेका अनुमोदन की सूचना प्राप्त करने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग उसकी सूचना एफ ए सी टी और सी ए ए एण्ड ए को देगा । उसके बाद एफ ए सी टी अनुबन्ध 4 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए बैंक आफ इण्डिया की टोकियो ब्राच को सम्बोधित आवेदन के साथ सम्बद्ध विदेशी सम्भरक के नाम में संलग्न अनुबन्ध-5 (आयातों के लिए) या अनुबन्ध-4 (सेवाओं के लिए) के रूप में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी ए ए एण्ड ए कहा गया है), आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली से संलग्न अनुबन्ध-3 में अनुरोध करेगा । प्राधिकार पत्र की प्रतियां ओ ई सी एफ, भारत का दूतावास, टोकियो, एफ ए सी टी, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

5. (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी सम्भरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साख पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भी भेजेगा ।

सी ए ए एण्ड ए से प्राधिकारपत्र के आधार पर साख पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी ।

5. (3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी सम्भरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी सम्भरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा ।

5. (4) साख-पत्र के अन्तर्गत लेन-देन करने के लिए साख-पत्र खोलने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे और विदेशी सम्भरकों के बैंकरों के यदि कोई खर्चे हों तो वे विदेशी सम्भरक/आयातक द्वारा वहन किए जाएंगे । बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा विदेशी सम्भरकों को आयातों की लागत के भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा अदायगी की तिथि तक की अवधि पर बैंक आफ इण्डिया को चुकाने योग्य ब्याज प्रभार, भारत में सम्बद्ध आयातक के बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन भेजकर निर्णीत किए जाएंगे ।

5. (5) अदायगी क्रियाविधि

भारतीय सम्भरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऋण की रकमों की अदायगी अनुबन्ध 7 के रूप में इसके साथ संलग्न अदायगी क्रियाविधि के अनुसार निम्नलिखित अनुपूरक शर्तों के साथ की जाएगी :—

एक जापानी येन के लिए भारतीय रुपये की विनिमय दर बोली खोलने की प्रचलित दर होगी जैसा कि मार्गदर्शन के खण्ड 4.07 मे निर्दिष्ट किया गया है । अदायगी के लिए आवेदन के साथ-साथ ऋणी मान्यता-प्राप्त बैंक से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र भी भेजेगा कि बोली खोलने के दिन येन-रुपये की विनिमय दर क्या थी ।

खण्ड 6—परामर्शदाताओं का नियोजन

परामर्शदाताओं का नियोजन निम्नलिखित अनुपूरक शर्तों के साथ "ओ ई सी एफ के ऋणियों द्वारा परामर्शदाताओं के नियोजन के लिए मार्गदर्शन" के अनुसार किया जाएगा जो ऋण समझौते के साथ संलग्न है :—

(1) परामर्शदात्री फर्म निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण करेगी :—

(क) पूर्वक्रीत शेयरों में बहुसंख्य शेयर पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित हों;

(ख) पूर्णकालीन संचालकों में से बहुसंख्य संचालक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हो;

(ग) ऐसी फर्म पात्र स्रोत देशों में निगमित और पंजीकृत हों ।

(2) आयातक ऋण समझौते के निर्णीत होने के तुरन्त बाद निधि द्वारा पुनरीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा :—

(1) विचारार्थ विषय;

(2) परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची;

(3) आमंत्रण-पत्र,

(4) संक्षिप्त मूल्यांकन शीट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट।

(3) परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित उसकी पात्रता के सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणा-पत्र प्रत्येक ठेके के साथ संलग्न किया जाएगा :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि.................(फर्म का नाम) ....(सम्बद्ध पात्र स्रोत देश का नाम) में निगमित और पंजीकृत है और यह पात्र परामर्शदात्री फर्म है। इसके ....प्रतिशत (......%) पूर्वक्रीत शेयर.................(सम्बद्ध पात्र स्रोत देशों के नाम) के राष्ट्रिकों द्वारा धारित है और पूर्णकालीन संचालकों में से.... ....प्रतिशत (..........%) संचालक.....................(सम्बद्ध पात्र स्रोत देशों के नाम) के राष्ट्रिक हैं।"

(4) ठेके के मूल्य का उल्लेख जापानी येन में किया जाएगा और मूल्य जापानी येन में ही देय होगा। ठेका भारत सरकार/ओ ई सी एफ के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

(5) आयातक द्वारा निधि की पुनरीक्षा/अनुमोदन के लिए उपर्युक्त दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(क) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित पूर्वक्रीत शेयरों की प्रतिशतता।

(ख) उन पूर्णकालीन संचालकों की प्रतिशतता जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

खण्ड 7—रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

7. (1) बैंक आफ इण्डिया, टोकियो संगत प्राधिकार-पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक होगी जो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा विदेशी सम्भरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 31—आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी सम्भरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 12-10-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974।

विदेशी सम्भरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8—आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा विनिमय के नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस सम्बन्ध में या ब्याज की दर में भी जब भी कोई परिवर्तन होगा उसकी सूचना आवश्यकतानुसार दे दी जाएगी। सम्बद्ध भारतीय बैंक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आयातकों को आयात दस्तावेज देने से पहले इस बात का सुनिश्चय कर ले कि देय धनराशि सरकार के लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। आयातक को इस बात का भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। इस बात का सुनिश्चय करना आयातक का उत्तर-दायित्व है कि देय धनराशि कस्टम प्राधिकारियों से अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में माल की डिलीवरी प्राप्त करने पर भी सरकारी लेखे में तुरन्त सही रूप से जमाकर दी गई है। यदि आयातक माल की डिलीवरी लेने से पहले देय धनराशि सरकार के लेखे में जमा नहीं करा पाता है तो उसको आगे एल ए एम देना बन्द कर दिया जाए और मामले की सूचना मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाए जिससे कि ऐसे आयातक को आगे आयात लाइसेंस जारी न किया जा सके। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज—843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा एब्रोड परचेज अण्डर क्रेडिट्स/लोन एग्रीमेन्ट" "लोन फ्रोम दि गवर्नमेन्ट आफ जापान 10.2 बिलियन यन क्रेडिट सं० आई डी पी—25 फार अमोनिया सल्फेट एण्ड केप्रोलेक्टम प्लान्ट प्रोजेक्ट" होना चाहिए।

7. (2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के दाएं कोने पर कोड सं० 5130000009 निर्दिष्ट करते हुए सार्वजनिक सूचना सं० 184—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और

सं० 103—आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से सरकारी लेखे में नकद जमा करानी चाहिए ।

7. (3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना स० 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार-पत्र संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं ।

(ग) विदेशी सम्भरक को भुगतान करने की तिथि ।

उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार-पत्र का सन्दर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत-लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

7. (4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपी की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए ।

खण्ड 8—विविध व्यवस्थाएं

8. (1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक, बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

8. (2) सम्भरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से सम्भरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में सम्भरक पर प्रभाव डालती हैं ।

8. (3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और सम्भरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले सम्भरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध 3 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिएं । संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिएं।

8. (4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी—25 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि जापान (ओ ई सी एफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

8. (5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

8. (6) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध 1	पात्र स्रोत देशों की सूची
अनुबन्ध 2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन
अनुबन्ध 3	प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
अनुबन्ध 4	प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
अनुबन्ध 5	साख-पत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
अनुबन्ध 6	साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)
अनुबन्ध 7	अदायगी क्रियाविधि (भारतीय सम्भरकों के लिए प्रयोज्य)

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा
   मिस्र
   मोरोक्को
   ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
केमेरुन
चाद
मध्य गिनी (1)
घाना
कीनिया
मालागासी गणतन्त्र
मारितेनिया, मारीशस
पुर्तगाल गिनी
रुवाण्डा
सेनेगल
सोमालिया
टेरी आफर्स और इस्सास
तंजानिया गणतन्त्र संघ
जाम्बिया
बोत्सवाना
केप वर्डी द्वीप समूह
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
गिनी
लेसोथो
मालावी
मुजम्बिक
रियूनियम
सेंट हेलिना और केप (2)
सेचिलिज
सूडान
टोगो
अपर वोल्टा
बुरुण्डी
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
कांगो, दाहोमे का गणतन्त्र
जाम्बिया
आइवेरी कोस्ट
लाइबीरिया
माली
नाइजर
रोडेशिया
साओ टोम और प्रिन्सइप
सियरा लिओन
स्वाजीलैंड
युगांडा
जाइरे गणतन्त्र

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय
बेहमस
बरमूडा
डोमिनिकन गणतन्त्र
ग्वाटेमाला
जमैका
नीदरलेंड, अन्टिलीज
सेन्ट पियरी और निकेलान
बारबाडोज
कोस्टारिका
एल सालवाडोर
हेती
मार्टिनिक
निकारगुआ
ट्रिनीडाड और टोबागो
बेलाइज
क्यूबा
गुवाडे लोप
होन्डूरस
मैक्सिको
पनामा

---

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरोन्डा पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेन्शन, ट्रिस्तन्डा इन एसौसिवल्स, नाइटिंगेल, गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकाओ, साहा, सेन्ट यूस्टासिट, सैंन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)।

वेस्ट इण्डीज (शारा)—एन आई ई
(क) सह-सम्बद्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका
अर्जेन्टीना
चिली
फ्रांसिसी गुयाना
पीरू
बोलिविया
कोलम्बिया
गुयाना
सूरिनाम
ब्राजील
फाल्क लैंड द्वीप समूह
पराग्वे
उरुग्वे

5. मध्य-पूर्वी एशिया
बेहरीन
लेबनान
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
इजराइल
ओमन
यमन अरब गणतन्त्र

जोर्डन
सिरिआई अरब गणतन्त्र
यमन जनवादी का डी०आर० (4)

6. दक्षिण एशिया
अफगानिस्तान
बर्मा
नेपाल
बांगला देश
भारत
पाकिस्तान
भूटान
माल द्वीप
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरुनी
कोरिया गणतन्त्र
मलेयेशिया
ताँइवान
वियतनाम गणतन्त्र
हांगकांग
लाओस
फिलिपाइन
थाईलैंड
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र
खमैर गणतन्त्र
मकाओ
सिंगापुर
तिमोर

8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
न्यू हेब्रिसिस (ब्रि० और फ०)
पापुवा न्यू गिनी
वालिस और फुतुना
फिजी
नारू
नियू
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
पश्चिमी सामोआ
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
न्यूकलेण्डोनिया
पौलिपिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
टोंगा

9. यूरोप
साइप्रस
माल्टा
यूगोस्लाविया
जिब्राल्टर
स्पेन
ग्रीक
तुर्की

---

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफो) बेविस-अंगुइला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट किसेन्ट ।

(2) मेन आईलैंड, मोन्तेसरत, सेमान, तुर्की और काइ-कोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह

(3) अजमन, दुबई, फुजाइरह्, रास अल सेमाह्, शरजाह् और अल क्वेवेन ।

(4) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित ।

(5) सोसायटी आईलैंड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

(क) 2—ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश
अल्जीरिया
गेबोन
वेंजुइला
कुवैत
आबू-धाबी
बोलिविया
नाइजीरिया
ईरान
कतर
इण्डोनेशिया
लीबियाई अरब गणतन्त्र
इक्वेडोर
ईराक
सऊदी अरब

अनुबन्ध 2

ऋण के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के लिए मार्गनिर्देशन

विषय सूची

अनुच्छेद सं०	शीर्षक	पृष्ठ
अनुच्छेद 1	सामान्य	
भाग 1.01	प्रस्तावना	
भाग 1.02	औपचारिक से अन्य क्रियाविधि—खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदाएं	
भाग 1.03	संविदाओं की किस्म और आकार	

के जारी करने की तारीख को प्रचलित सीमा-शुल्क विनिमय दर में 1 प्रतिशत जोडकर ही निकाला जाना चाहिए ।

2. वह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार कलक्टर द्वारा निर्मित किया जाना है ।

अनुबंध-4

(दो प्रतियों में)

(पैरा 5.i)

अनुदेश जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

(दो प्रतियों में भेजा जाना है)

सं. .... दिनांक ....

सेवा में,

सचिव, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग, ई. ई. सी. प्रभाग,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-1

(ध्यानः)

विषयः-- फ्रांस ऋण के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रांस से ....का आयात करने के संबध (माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

मे हम निम्नलिखित ब्यौरा देते हैं और एतद्द्वारा ....की धनराशि (लागत तथा भाडा/लागत-बीमा-भाडा) के लिए अनुदेश पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैः--

आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस—
(1) संख्या
(2) दिनांक
(3) धनराशि
(4) वैधता अवधि

(ग) फ्रेंच संभरक का नाम और पता

(घ) संविदा की तिथि/संशोधन

अथवा

संभरकों द्वारा आदेश की फाइनल स्वीकृति की तिथि ।

(ग) गैर-फ्रांसीसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो ।

(च) संविदा का मूल्य : पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत घट भारतीय एजेंट का कमीशन यदि कोई हो ।

कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्यः
भाडा*
बीमा*
कुल :

*भाडा एवं बीमा कीमतें तभी दिखाई जाएं जब कि वे फ्रांस ऋण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए पात्र हों (लाइसेंस शर्तों का पैरा 4. 4. 3 देखें)

(छ) (1) पोतलदान की तिथियों या वे तिथियां जिनको सेवा कार्य पूर्ण किए जाएंगे ।

(2) संविदा में यथा निर्धारित, प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किए गए सेवा कार्य का मूल्य

(ज) उस फ्रांसीसी आवासीय बैंक का नाम जिसके माध्यम से संभरक को भुगतान किया जाना है। (अनुबंध-1 में सूचीबद्ध 15 फ्रांसीसी बैंकों में से एक बैंक।)

(1) वह तिथियां जिनको संविदा के अधीन भुगतान देय होंगे...............................

(1) अग्रिम भुगतान के संबंध में (जहाज पर निःशुल्क मूल्य का कम से कम 5 पौंड)

(2) अन्य भुगतान

2. संविदा/संशोधन की दस प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो प्रतियां संलग्न हैं ।

**3. एक बैंक गारंटी जो ....केवल निजी क्षेत्र में आयातकों के लिए ....लागू हैं । (विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पूरा डाक पता) द्वारा स्थापित की गई और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित की गई हैं वह भी संग्लन है।

आयात दस्तावेज इस बैंक को भेजें जाएं।

इस बैंक द्वारा प्रस्तुत गारंटी का मूल्य . . . .
. . . . है, दिनांक . . . .
है, और . . . . तक वैध है ।

†3 आयात दस्तावेज . . . . को भेजें । (स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा या इसके सहायक बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का पूरा नाम और डाक पता) ।

available to Indian importers in accordance with the Import Policy. Under the French Credits, payments to suppliers including the down payments, are made directly from the credit funds and corresponding Rupee funds have to be deposited by the importers into the account of the Government of India.

2. In the light of the eligibility criteria and procedural requirements in the agreements for French credits, these Licensing conditions are prescribed by the Government of India for guidance of and compliance by the importers.

These Licensing Conditions will come into force immediately and will remain in force until further orders.

I. Allocations from French Credits

I. 1 Allocations|releases of foreign exchange against French credit funds are made by the Department of Economic Affairs (EEC Division), hereinafter referred to as "DEA", on references made to it for the purpose or at the time of approvals of import proposals by the Capital Goods|Empowered Committees.

I.2. Unless otherwise agreed by DEA in deserving cases, the allocations|releases will have to be effectively used by importers, by obtaining import licence, within a period of four months. In the absence of a receipt by DEA within this period of either—(i) a request for extension of the time limit with reasons therfor, or (ii) a copy of import licence (in duplicate) obtained, or (iii) in the case of OGL items, an intimation that the order has been placed on the French supplier, the allocation|release will be cancelled by DEA.

II. Import Licence

II.1 Import licence will be issued by the Office of the Chief Cntroller of Imports and Exports (CCI&E) in accordance with the Import Policy. The Import Licence will :—

(a) provide a validity period of four months for contracting, which may be extended for a period of upto further four months on request, with valid reasons therefor. Any request for extension beyond 8 months from the date of issue will have to be referred to DEA and will be considered by it only in special deserving cases.

(b) show the Rupee value, on c.i.f. basis, calculated at the customs rate of exchange prevailing on the date of issue of Licence, which rate will be specified in the licence.

(c) will provide validity period for completion of shipments of 24 months in the case of capital goods and 12 months in other cases.

(d) will bear a supercription "French Credit".

(e) will include in its value the commission payable to the Indian agent; if any.

II. 2 Immediately on the issue of the import licence, the importer should send to DEA two photocopies of the licence, and advise the expected date of the contract with the French Supplier.

III. Contract with French Supplier

III. 1 The importer should ensure that the contract is concluded with the French supplier expeditiously, within the validity period indicated in II. 1(a) above.

III. 2 Unless otherwise agreed by DEA in advance, only one contract will be concluded against each import licence. Also, the contract value snould be equal to the value of the French credit allocated or released by DEA. Part financing of the f.o.b. value from other sources should be avoided in particular.

III. 3 Each contract should invariably be a complete, self contained document, signed in token of award and acceptance by the importer and the French supplier. A contract in the form of a series of correspondence between the parties, or a contract signed and accepted by an Indian agent on behalf of French supplier will not be accepted.

III. 4 Any amendment or modification of a contract should also be signed by the importer and the French supplier, and should be promptly advised by the importer to DEA, in ten copies as in the case of the original contract. Necessary amendment of the import licence, if any, should also be ensured by the importer.

IV. Terms and Conditions of Contract.

Special care should be taken by the importer to ensure strict compliance with the following terms and conditions :

1. Currency : As the French Credits are in French Franc, the contract should be denominated and should provide for payments to French supplier in French currency. Any departure from this provision must be got approved from DEA in advance of the conclusion of the contract.

2. Price : The contract should indicate firm price on f.o.b., c. & f. or c.i.f basis; price-escalation is not covered under French credits and should therfore be avoided. The contract should normally be on c.i.f. basis, unless marine insurance is contracted with Indian insurance company. In any case, the contract must indicate separately and distinctly the f.o.b. price, freight charges and insurance cost, as well as Indian agents commission if any; such commission will be payable by the importer to the agent only in Indian Rupees and the contract should clearly indicate this.

3. Minimum Value : Following minimum value limits (F.O.B.) are prescribed under French credits for contracts with French suppliers :

	minimum value (fob)
(a) contracts for heavy equipment or for industrial projects.	FF 5,000,000
(b) contracts for light equipment projects	FF 1,000,000
(c) contracts for other imports	FF 80,000

आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिघोषित होने चाहिए । संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए ।

खण्ड 3.04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता

पूरे किए जाने वाले कार्य, सप्लाई किए जाने वाले माल और सेवाएं और सुपुर्दगी या स्थापित करने के स्थान के विषय में विशिष्टिताएं जहां तक सम्भव हो स्पष्ट और संक्षेप में होनी चाहिए । ड्राइंग विशिष्टिकरणों के मूल के साथ अनुकूल होनी चाहिए; जहां पर ऐसा नहीं है तो मूल ही लागू होगा । विशिष्टिकरणों से मुख्य तथ्यों अथवा आधारों को अभिज्ञात करना चाहिए । जिनको बोलियों के मूल्यांकन और उनकी तुलना करते समय ध्यान में रखा जाएगा । किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना, स्पष्टीकरण, त्रुटियों की शुद्धि अथवा विशिष्टिकरणों में विकल्पों को उन सभी को शीघ्र ही प्रेषित किए जाएंगे जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए आवेदन किए थे । बोली के लिए आमंत्रण में प्रपत्र स्रोत देशों और गैर-पात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयातों के लिए किसी भी प्रकार के प्रावधानों का संकेत होना चाहिए ।

जहां पर निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न प्रक्रिया के लिए सहमत है तो वहां पर विशिष्टिकरणों की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बोली को अधिक से अधिक अनुमति एवं प्रोत्साहन मिल सकें ।

खण्ड 3.05 मानक

यदि उन राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके उपकरण अथवा माल अनुकूल हैं तो विशिष्टिकरणों में यह बताया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मानक अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों जो समान अथवा उच्च कोटि को सुनिश्चित करते हैं, तो उल्लिखित मानकों को भी स्वीकार किया जाएगा ।

खण्ड 3.06 ब्रांड (छाप) के नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची सख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पित माल के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषताएं समान है और कम से कम इन विशिष्टियों के लिए समानता पर निष्पादन एवं कोटि की व्यवस्था करते है ।

खण्ड 3.07. संविदाओं के अधीन व्यय

चूंकि निधि के ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों के क्षेत्रों में उत्पादित माल के लिए वित्त पोषित व्ययों तक ही सीमित है इसलिए गैर-पात्र स्रोत देशों से अनुमित आयातों और पात्र स्रोत देशों से सप्लाई की गई सेवाएं, बोली दस्तावेजों में संविदाकार अथवा तदनुसार संविदा के अधीन उनके सीमित व्यय के लिए सम्भरक अथवा गैर-पात्र स्रोत देशों में उनके विवरणों या बीजकों में व्ययों को अभिज्ञात करने के लिए अपेक्षित किया जाना चाहिए ।

निधि को सांख्यिकी प्रयोजनार्थ उसके द्वारा वित्तपोषित और उनके मुख्य घटकों के माल एवं सेवाओं के मूल भौगोलिकता से सम्बन्धित सूचना की आवश्यकता होती है । बोली दस्तावेजों में संविदाकार अथवा सम्भरक को आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए ।

खण्ड 3.08 बोलियों का मूल्य

चूंकि निधि का ऋण जापान येन में है, तो बोली का मूल्य जापान येन में दिखाया जाना चाहिए बशर्ते कि बहरहाल, बोली मूल्य का वह भाग जिसको बोलीदार ऋणी देश में व्यय करना चाहता है तो ऐसे भाग को ऋणी देश की मुद्रा में दिखाया जाना चाहिए ।

खण्ड 3.09 संविदा मूल्य

संविदा मूल्य को जापानी येन में दिखाया जाना चाहिए । बहरहाल बशर्ते कि संविदा मूल्य का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में व्यय करेगा उसे ऋणी की मुद्रा में दिखाया जाना चाहिए ।

खण्ड 3.10 मूल्य समंजन कंडिकाएं

बोली के दस्तावेजों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या फर्म मूल्यों की आवश्यकता है अथवा बोली मूल्यों की वृद्धि स्वीकार्य है ।

उपयुक्त मामलों मे ठेके के वृहद लागत घटकों के मूल्यों में परिवर्तन होने की स्थिति में जैसे कि मजदूरी एवं महत्वपूर्ण सामग्रियां, संविदा मूल्यों में समंजन के लिए (ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर) व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मूल्यों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्रों को बोली के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि वही प्रावधान सभी बोलियों में लागू होगा ।

माल की सप्लाई के लिए ठेकों में मूल्य समंजन की सीमा को सम्मिलित किया जाना चाहिए परन्तु सिविल निर्माण कार्यों के लिए ठेकों में ऐसी सीमाएं सम्मिलित करना सामान्य नहीं है ।

एक वर्ष के अन्दर डिलिवर किए जाने वाले माल के लिए सामान्यतः किसी मूल्य समंजन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए ।

गाइड लाइनें उन विभिन्न तरीकों को अभिज्ञात करने के लिए आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा ठेके के मूल्य समंजित किए जा सकें ।

खण्ड 3.11 अग्रिम भुगतान

व्ययों का संग्रहन करने हेतु संविदा को प्रभावोत्पादन बनाने के लिए अग्रिम में किए जाने वाले कुल भुगतान की प्रतिशतता युक्तिसंगत होनी चाहिए । दिए जाने वाले अन्य अग्रिमों उदाहरणार्थ निर्माण कार्यों में समाहित करने के लिए स्थल तक सामग्रियों को की गई डिलिवरी के बारे में बोली के दस्तावेजों में स्पष्टत: उल्लेख किया जाना चाहिए ।

खण्ड 3.12 गारन्टी निष्पादन बांड और रोकी रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ ज़मानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा । यह ज़मानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा/निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

उचित ज़मानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । गारन्टी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए ।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारन्टी अथवा बांड की अपेक्षा गारन्टी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । रोक रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए । लेकिन यदि बैंक गारन्टी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए ।

खण्ड 3.13 बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए ।

खण्ड 3.14 चुकाई जाने वाली क्षति और बोनस कंडिकाए

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए । ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा इससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए ।

खण्ड 3.15 बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबन्धित करते हुए इस संयंत्र में धाराएं होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा । यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जाती है) ।

खण्ड 3.16 भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौनसी भाषा प्रमुख है ।

खण्ड 3.17 झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से सम्बन्धित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं । यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर आधारित होनी चाहिए ।

बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

खण्ड 4.01 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा । साधारणत: अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहां पर सिविल निर्माण कार्य अधिक है, वहा पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भलीभांति देख-भाल करने के लिए आमतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए । किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

खण्ड 4.02 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि, समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए ।

खण्ड 4.03 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, ऋणी किसी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय मे नहीं कहना चाहिए।

खण्ड 4.04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबधित नही है तब तक नही बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नही कर दिया जाता है।

खण्ड 4.05 बोलियों की जाच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है। क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित है और क्या बोलियां सामान्यता अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं है या उसमे अस्वीकृत शर्ते हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नही है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

खण्ड 4.06 बोलीकारों की पूर्व योग्यताएं

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करें कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम, मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओ को पूरा नही करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

खण्ड 4.07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्याकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बात जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई संमजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नही ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राए जिनमे मूल्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजो में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

निर्धारित विशिष्ट कारणों जिन पर निम्नतम मूल्यांकित बोली का निर्धारण आधारित है, बोलियों के मूल्यांकन एवं तुलना पर ऋणी अथवा उसके परामर्शदाताओं द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

खण्ड 4.08 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नही करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकन बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नही है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियां को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियो में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

खण्ड 4.09 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीदार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित

मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय में एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पुण्यवस्तुओं के लिए या अपने निर्णय को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात, बोलियों के विश्लेषण और ठेके देने के प्रस्ताव के कारणों सहित उन प्रस्तावों की प्रतियां अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत की जाएंगी।

"अनुच्छेद—5"

सलाहकारों के सेवाओं के लिए गाइडलाइनें

खण्ड 5.01 सलाहकारों को स्वाधीनता

निधि के ऋण के अधीन वित्तपोषित परियोजना के सम्बन्ध में नियोजित सलाहकार पार्टियां इस अभिप्राय से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और डिजाइन, उनके द्वारा तैयार किए गए विशिष्टिकरणों और निविदा दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यक अथवा औद्योगिक पक्षपात से विमुक्त होंगे।

सलाहकार इंजीनियर्स जो संविदा करने वाली अथवा विनिर्माण करने वाली फर्मों में लगे हैं, तो उनकी सेवाओं का उपयोग तभी किया जाएगा यदि वे उसी परियोजना में किसी अन्य क्षमता में कार्य करने से स्वयं को और अपने सहयोगियों को अयोग्य घोषित करते है। उन सलाहकार इंजीनियर्स के मामले में जो परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले विनिर्माताओं से संबंधित हैं केवल यह सुनिश्चय करने के लिए कदम नहीं उठाए, जाएंगे कि वह कम्पनी, जिससे सलाहकार संबंधित है, परियोजना के किसी भी भाग के लिए भविष्य में बोली लगाने से ही अयोग्य ठहराया जाएगा। लेकिन यह भी कि विशिष्टिकरण निष्पक्ष होगा और उसका प्रतियोगात्मक आधार पर अनुपालन किया जा सके।

खण्ड 5.02 सलाहकारों का चयन

सलाहकार फर्मों के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगात्मक बोली बोलने की प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन करते समय ऋणी उचित मात्रा में प्रत्याशित फर्मों के बारे में विचार करेगा जिसमें निधि द्वारा अधिसूचित की गई फर्में शामिल होंगी और जिनसे पात्र स्त्रोत देशों से सक्षम और स्वतन्त्र सेवाएं प्रदान करने की आशा की जा सकती है। प्रस्ताव भेजने के आमंत्रण कम से कम तीन फर्मों को भेजे जाएंगे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पहले उनकी तुलना गुणात्मक रूप से की जानी चाहिए अर्थात् योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण अनुसूचियां अनुभव और कार्य सौंपे जाने वाले व्यक्ति की क्षमताएं इस सौंपे जाने वाले कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य समझी जाने वाली फर्म या फर्मों के चयन कर लिए जाने के बाद संविदा के मूल्य और अन्य वित्तीय शर्तों पर सहमति के लिए बात-चीत की जानी चाहिए ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।

निधि द्वारा वित्त-पोषित परियोजना के तैयार करने और देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार अथवा ऋणी द्वारा पहले से ही नियुक्त किए गए सलाहकार के चयन को अनुमोदन करने का अधिकार निधि सुरक्षित रखता है।

अनुबंध—3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं० . . . . दिनांक . . . .

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—1983-84 के लिए येन क्रेडिट सं० आई डी पी० 25 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से . . . . का आयात।

महोदय,

उपर्युक्त येन क्रेडिट सं० आई० डी-पी 25 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत . . . . से . . . . के आयात के संबंध में। (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ख) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है की प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके . . . . क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इस मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्त्रोत देशो से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में देय भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) समुद्रपार संभरकों को येन में देय वास्तविक लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों की प्रतिशत

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए) ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है ।

(द) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों/या संभरकों द्वारा वहन किए जाने हैं ।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं । प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी सौंपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जाएंगी। विदेशी राष्ट्रीयता वालों को सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में, ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए, त्योंही धनराशियां जमा करा दी जाएं" ।

अनुबंध—4

(प्राधिकार पत्र प्रपत्र)

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक · · · ·

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो, (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० आई० डी० पी० 25 के अधीन आयात-साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

श्रीमन्,

आपके बैंक के साथ दिनांक · · · · · · · ·को किए गए समझौते की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार मैसर्स · · · · · · · · · · · · · · · · के नाम में. · · · · · · · · · · · · · · · ·येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साखपत्रों की शर्तों के अनुसार प्रारंभ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद ओ ई सी एफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ ई सी एफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रखरखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल है क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक आयातक द्वारा सीधे ही वसूल किए जाएंगे । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ ई सी एफ में नही किया जा सकता ।

जब और जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और आपको प्रतिपूर्ति की जाती है तो निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना इस मंत्रालय को भेजनी चाहिए।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख पत्र के बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकारपत्र ....तक वैध रहेगा।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. *आयातक* ....को उनके पत्र सं०.. ....दिनांक के.........के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि व बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। अपवाद परिस्थितियों के रूप में यदि माल की डिलीवरी सीधे ही सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है, तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिएं। विदेशी राष्ट्रीयता वालों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं निक्षेप जल्दी हो और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. *आयातक के बैंक*........ ... । उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्ति करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 31—आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18% दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। यदि इस दर में कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त इसको सूचना दी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं० 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-68, 233-आई टी सी (पीएन)/68-दिनांक 24-10-1968, 132 आई टी सी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं० 74-आई टी सी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-1974 एवं सं० 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज-843-सिविल डिपाजिट्स-डिपाजिट्स फॉर परचेजिज एटसेट्रा अब्राड अंडर परचेजज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंटस"—लोन फ्राम द गवर्नमेंट आफ जापान 10.2 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी-पी० 25 फार 1983-84 है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सू० सं० 132-आईटी सी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए।

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० 24-10-1968 में यथा-उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक ओ०ई०सी० एफ० द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए ब्याज प्रभार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबसो ग्यूडोबिल्डिंग, 4-1, ओहाटमेची-1, कोमे, चियोड़ा-कु-टोकियो-100, जापान ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

(ओ०ई०सी०एफ०एल० सी-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक . . . .

सेवा में,

. . . .	यह साखपत्र (श्रेणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
. . . .	के बीच हुए ऋण करार सं० . . . .
. . . .	के दिनांक . . . . के अनुसरण में जारी किया गया है ।
(संभरक का नाम और पता)	

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम मे निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० . . . . खोल दिया है जो . . . . येन (. . . . . येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोतलदान बिल जिसमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिसमें . . . . से . . . . तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा सं० . . . .) (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है । वाहनान्तरण स्वीकृत है ।

पोतलदान बिल जो . . . . से बाद की तिथि का नही होना चाहिए । आदेशतीह को ड्राफ्ट . . . . . 19 . . . तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकित होना चाहिए । "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० . . . . दिनांक . . . . 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं० (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है" ।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशता को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाकूमेंट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स ब्रोचर नं० 290 के अधीन है" ।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :—

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचन-पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते है कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे ।

2. सौदा करने वाले बैंक यह बताते हुए हमें ड्राफ्टस और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा . . . . को भेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खाते आयातकों/संभरकों के लेखे के लिए है ।

भवदीय,

(. . . . .)

वाणिज्यिक बैंक

. . . .

. . . .

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं० . . . . का अभिन्न अंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि . . . . येन जो, कि कुल संविदा मूल्य का . . . . प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज :	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि .... येन जो कि कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि .... येन संविदा की कुल मूल्य का .... प्रतिशत है ।

टिप्पणी :—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबन्ध—6

प्रपत्र ओ० ई० सी० एफ० एल० सी-2

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक :

सेवा में,

....	यह साख-पत्र (ऋणी) और
....	विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
....	के बीच हुए ऋण करार
....	सं० ....
(संभरक का नाम व पता)	दिनांक ...... के अनुसार में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिये पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साईट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .... खोल दिया है जो येन .... (येन .... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा सं० .... और परियोजना ....) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी करना है । सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट .... से पहले प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

"सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० ..... दिनांक ...... के अन्तर्गत भुना लिये गए है," से चिन्हित होने चाहिये ।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का पालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, ब्रोचर न० 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

1. इसमे संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिये । प्रारंभिक भुगतान के मामले में, उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि को मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जायेंगे ।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के लेखे के लिये है ।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ......

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० .... का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारंभिक भुगतान ....

धनराशि ...... येन ....

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज : लाभकारी विवरण

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि .

2. भुगतान वृद्धि

संपूर्ण योग की धनराशि .... येन
कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	येन	येन ....
पहली किश्त	येन	येन ....
दूसरी किश्त	येन	....
....	....	....

अपेक्षित दस्तावेज : (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किये गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

दिनांक ....
संदर्भ ....

सेवा में,

....
....
....
(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :—ऋण करार सं० .... के अन्तर्गत ... परियोजना से संबंधित .... के नाम में .... येन के लिये .... द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं० .... दिनांक ......

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा ...... और .... के बीच समझौता सं० .... दिनांक .... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा .... की धनराशि (...................... येन केवल)

प्राप्त करने के लिये एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं

(.........)
(ऋणी)

द्वारा ......
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा ।

अनुबन्ध—7

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि

भुगतान प्रक्रिया

1. इस प्रक्रिया को उन मामलों में अपनाया जाना है जबकि निधि के वित्त पोषण के लिए निर्वाच्य व्यय पहले से ही किया जा चुका है । ऐसे व्यय में निम्नलिखित आते हैं :-

(एक) विशिष्टकृत माल के सम्भरकों को भुगतान, या

(दो) परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सेवाओं के लिये या परिवहन बीमा, आदि जैसी सेवाओं के लिये भुगतान, या

(तीन) सिविल कार्यों के ठेके (इंजिनियरी, निर्माण और प्रतिष्ठापन) के अन्तर्गत भुगतान ।

ये भुगतान साख-पत्र के अन्तर्गत या अन्यथा रूप से किए जा सकते है । और भी, सम्बद्ध ठेकों की शर्तों पर निर्भर करते हुए ऐसे भुगतान पूर्णरूप से तय किये गए भुगतान अथवा नकद भुगतान या माल के विनिर्माण के प्रति आंशिक (प्रगामी), भुगतान, आवधिक अथवा दी गई आंशिक सेवाओं अथवा सिविल कार्यों के ठेकों के अन्तर्गत आवधिक प्रगति के लिये भुगतान से सम्बद्ध है ।

2. (1) इसके साथ संलग्न ओ ई सी एफ आर एम पी प्रपत्र में भुगतान के लिये अनुरोध भेजकर उपर्युक्त वर्णित व्ययों के लिये भुगतान का दावा किया जाए।

ऐसे मामलों में जहां पर स्थानीय मुद्रा (ऋणी के देश की मुद्रा) में व्यय के प्रति ऋण, विदेशी मुद्रा में से निधि की व्यवस्था के लिए सहमति हो चुकी है, तो जापानी येन की शर्तों के अनुसार ही अनुरोध किया जायेगा और आवेदित धनराशि वास्तविक रूप से स्थानीय मुद्रा व्यय के लिये सहमति प्राप्त अंश के लिये होगी। जापानी येन के अनुसार ऐसी स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर निधि एवं ऋणी के बीच अलग से सहमति प्राप्त होगी ।

इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके भुगतान किये जाने वाली तिथि से कम से कम दस (10) दिन पहले निधि कार्यालय को इसके लिये अनुरोध पहुंच जाए ।

(2) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान के लिए नत्थी करके सारांश शीट (शीटों) सहित आवेदन पत्र निधि कार्यालय को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों प्रतियां ऋणी या उसके मनोनीत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएंगी । इस आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज (केवल एक प्रति) भेजने होंगे । मूल दस्तावेज भेजना आवश्यक नहीं है, फोटो प्रति ही काफी रहेगी।

(क) माल के पोतलदान की सुपुर्दगी के मद्दे सम्भरकों को भुगतान के लिये :—

(1) माल और उसके साथ ही उसकी मात्रा और मूल्य का विवरण देते हुए जो सप्लाई/संभरक का बीजक पोतलदान कर दिया गया है या किया जा रहा है,

(2) बीजक मे उल्लिखित माल के पोतलदान/सुपुर्दगी का उल्लेख करते हुए लदान बिल या ऐसे दस्तावेज,

(3) सम्भरक को किए गए भुगतान की तिथि और राशि का उल्लेख करते हुए विनिमय बिल या ऐसे दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दिखाते हुए सभरक से एक सादी रसीद भी काफी रहेगी।

(ख) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान से पहले सभरको को किये गए भुगतानो के लिये —

(एक) वह ठेका या क्रय आदेश जिसके अन्तर्गत भुगतान किया गया है,

(दो) सभरक को किए गए भुगतान की तिथि और राशि का उल्लेख करते हुए विनिमय बिल या ऐसे दस्तावेज, भुगतान की तिथि और राशि का दिखाते हुए सभरक से एक सादी रसीद भी पर्याप्त रहेगी।

(ग) परामर्शदाताओ की सेवाओ के भुगतान के लिये —

(एक) परामर्शदाताओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओ की मुख्य बातो एव उसकी अवधि तथा भुगतान की शर्तों को देते हुए परामर्शदाताओ के साथ ठेका,

(दो) सभरको द्वारा दी गई पूर्ण सेवाओ, लिया गया समय और उन को देय धनराशि को बताते हुए परामर्शदाताओ द्वारा मागी गई धनराशि,

(तीन) परामर्शदाताओ का किए गए भुगतान की तिथि और राशि का उल्लेख करते हुए रद्द किये गये बैंक के चैक, डिमाड या ड्राफ्ट या ऐसे दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दिखाते हुए परामर्शदाताओ से एक सादी रसीद भी पर्याप्त रहेगी।

(घ) अन्य दी गई सेवाओ के भुगतान के लिए —

(1) इसमे दी गई सेवाओ की बातो का विवरण देते हुए बिल, दावा या बीजक और उसके लिये मागी गई धनराशि।

(2) किये गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए रद्द किया हुआ बैंक का चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट और इसी प्रकार का दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दर्शाते हुए एक सादी रसीद भी काफी रहेगी।

यदि ये सेवाए माल के आयात (अर्थात् भाडा, बीमा भुगतान) से सबधित है तो इनके पर्याप्त सदर्भ दिए जाए ताकि विशिष्ट माल के लिए इन मदो को जिनकी लागत निधि द्वारा वित्तपोषित की गई है अथवा की जानी है, निधि कार्यालय द्वारा प्रत्येक को सम्बद्ध कर सके।

(ङ) सिविल वर्क्स के ठेको के अन्तर्गत भुगतान के लिये —

(एक) निष्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्य/इजिनियरी कार्य का ब्यौरा देते हुए ठेका और उसके लिये भुगतान की शर्ते,

(दो) ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य का सम्पूर्ण ब्यौरा तथा उसके लिए मागी गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देते हुए ठेकेदार का क्लेम, बिल अथवा बीजक,

(तीन) इस विषय मे एक प्रमाण पत्र कि ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य सतोषजनक है और ठेके की सगत शर्तों के अनुसार है, ऐसा प्रमाणपत्र परियोजना मे नियुक्त ऋणी के मुख्य अभियन्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा,

(चार) ठेकेदार को किए गए भुगतान की तिथि और भुगतान की राशि को देते हुए रद्द किया हुआ बैंक का चैक या ऐसे दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दिखाते हुए ठेकेदार से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(3) उपर्युक्त सभी मामलो मे यदि भुगतान साख पत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया गया है तो उस बैंक से एक रिपोर्ट इसके साथ सलग्न ओ ई सी एफ आर एम पी–1 प्रपत्र मे विनिमय बिल, क्रास चैक आदि के स्थान पर भेजी जा सकती है।

3. निधि कार्यालय जांच करने के पश्चात् यह पाये कि भुगतान के लिए अनुरोध ठीक है और यह ऋण समझौते के प्रावधानो के अनुसार है और सबधित ठेके की शर्तों के अनुरूप है तो निधि कार्यालय आवेदित धनराशि की अदायगी जापान मे प्रचलित कानूनो और विनियमन के अनुसार टोकियो मे प्राधिकृत विदेशी मुद्रा बैंक के पास ऋणी द्वारा खोले जाने वाले गैर आवसीय मुक्त येन खाते मे जापानी येन मे अदा करेगा। ऐसी अदायगी ऋण के वितरण को सघटित करेगी।

4 यह नोट कर लिया जाए कि उपर्युक्त पैरा 2(2) मे वर्णित सभी मामलो म निधि के वितरण किए गए विशिष्ट व्यय के साक्ष्य के मद्दे किये जाते है। लेकिन, यह सम्भव है कि निधि कार्यालय ऋण की धनराशि के विशिष्ट भाग का वितरण करने के लिए कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर सहमत हो सकता है। ऐसे मामलो मे जिनमे विशिष्ट मुद्राओ मे वास्तविक व्ययों का साक्ष्य उपलब्ध नही हो रहा है, निधि कार्यालय जापानी येन मे अभिव्यक्त अदायगी के आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। प्रत्येक अनुरोध जब तक निधि कार्यालय द्वारा अन्यथा रूप से अपेक्षित या अनुमित न हो, तो वह नीचे दी गई पक्तियो मे प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जायेगा। प्रमाण पत्र का भाग-एक परियोजना मे नियुक्त ऋणी के मुख्य अभियन्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, प्रमाण पत्र का भाग-दो ऋणी के नाम मे आवेदन हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

प्रमाण पत्र (भाग—एक)

दिनाक

यह प्रमाणित किया जाता है कि से सबधित काय की प्रगति के रूप मे प्रतिशत थी।

हस्ताक्षर

नाम

अधिकार या पदनाम

प्रमाण पत्र (भाग—दो)

दिनाक

कार्य की प्रगति के आधार पर निधि के ऋण की धनराशि *Yen* (अर्थात् येन) है, उपर्युक्त भाग-एक मे प्रमाणित प्रतिशतता के आधार पर ऋण के वितरण के लिए देय धनराशि *Yen* (अर्थात् येन) हाती है। *Yen* (अर्थात् येन) की धनराशि *Yen* तक और आवेदन स० सहित अदायगी के लिए अनुरोध के अन्तर्गत पहले ही वितरित की जा चुकी है और अब *Yen* (अर्थात् येन) के शेष राशि के वितरण किए जाने हेतु अनुरोध है।

(ऋणी का नाम)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र ओ ई सी एफ-आर एम पी

भुगतान के लिये आवेदन

दिनाक

ऋण स०

आवेदन पत्र की क्रम स०

सेवा मे,

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि,

टोकियो, जापान

ध्यानार्थ-प्रबन्धक, ऋण विभाग।

श्रीमान्,

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जिसे इसके बाद निधि कहा जाएगा) और (ऋणी) के बीच हुए ऋण समझौता स० दिनाक के अनुसरण मे अधोहस्ताक्षरी एतत्द्वारा सलग्न साराश शीट(टो) मे यथा वर्णित व्यय के भुगतान हेतु (अर्थात् येन) की धनराशि उपर्युक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए अनुरोध करता है।

2 अधोहस्ताक्षरी ने पहले सलग्न शीट (टो), मे वर्णित व्यय के भुगतान करने या उसे पूरा करने के प्रयाजनार्थ ऋण से किसी प्रकार की धनराशि के भुगतान के लिए आवेदन नही किया है। अधोहस्ताक्षरी ने किसी अन्य ऋण, क्रेडिट या अनुदान की प्राप्ति मे से ऐसे प्रयोजन के लिए कोई धन नही लिया है और न ही लेगा, किन्तु इसमे, यदि कोई हो, ऐसे अल्प आवधिक ऋण और क्रेडिट शामिल नही है जो इसमे आवेदित भुगतान की प्रत्याशा मे स्थापित किये गए हो और जो भुगतान किये गये है वे निधि के पास उसी सीमा तक वापस किये जाने है और ऐसे प्रत्याशित अल्प आवधिक क्रेडिट के अन्तर्गत अदा किया गया या अदा किये जाने वाला कोई भी प्रभार, कमीशन या ब्याज इसमे आवेदित धनराशि मे शामिल नही है।

3 अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता है कि —

(क) एतद्द्वारा भुगतान किये जाने वाला व्यय ऋण समझौते मे विशिष्टिकृत प्रयोजना के लिये किया गया था।

(ख) इस व्यय मे से खरीदा गया माल या प्राप्त की गई सेवाए उपर्युक्त ऋण समझौते के अनुसरण मे निधि द्वारा स्वीकृत लागू अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया गया है और उसकी खरीद का मूल्य और शर्तें यथोचित है,

(ग) उपर्युक्त माल और उपलब्ध सेवाए सलग्न शीट(टो) मे विशिष्टिकृत सभरक(को) द्वारा प्रदान की गई थी या प्रदान की जाएगी और निधि के ऋण मे पात्र स्त्रोत देश (देशो) मे प्रस्तुत (या सेवाए देने करने के मामले मे) की गई थी या दी जाएगी।

(घ) इस आवेदन की तिथि को ऋण समझौते के अतर्गत कोई चूक विद्यमान नही है और न ही गारन्टी के अन्तगत, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान और विश्वास के अन्तर्ग्रस्त ऐसी चूक है।

4 कृपया की (अदायगी की तारीख) (टोकियो मे स्थित प्राधिकृत के पास (विदेशी मुद्रा बैंक का नाम और पता) (दाता) के गैर-आवासीय मुक्त येन खाते मे अदा करके आवेदित धनराशि की अदायगी करे।

5 इस आवेदन मे पृष्ठ है और (सख्या) (सख्या) हस्ताक्षरित है और साराश शीट(टो) की सख्या दी हुई है।

(ऋणी का नाम)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र: ओ ई सी एफ–आर एम पी–एस एस

दिनांक : ....

ऋण सं. ....

आवेदन की क्रम सं ....

सारांश शीट सं ....

श्रेणी/उप श्रेणी की सं और नाम ....

(दस मदों से अधिक के लिए अतिरिक्त शीट (टों) का उपयोग उसी संख्या के साथ करें)

मद सं.	सुपुर्दगी की तारीख	उद्गम का देश	माल का विवरण और सेवाएं	संभरण ठेके या क्रय आदेश की सं. और तारीख	संभरक का नाम और पता	भुगतान की तारीख	अदा की गई धनराशि		मांगी गई धनराशि सहमत वाला भाग (9/8%)	अदा किए गए भुगतान की किस्म	अभ्युक्ति
							स्थानीय मुद्रा में	विनिमय दर (प्रति येन)			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.											
2											
3											
4.											
5.											
6											
7											
8											
9											
10.											
कुल जोड़											

टिप्पणी :—कालम 9 में प्रत्येक मद के सामने संकेत दिया जाना है, चाहे भुगतान नकद या किस्तों में भुगतान (यदि हां तो किस्तों की संख्या बताएं) या पूर्णतया तय होने पर अन्तिम भुगतान

....

(ऋणी का नाम)

द्वारा..................

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

आ० ई पी जी-आर एन पी-1

भुगतान की वाणिज्यक बैंक की रिपोर्ट

दिनांक ....

सेवा में

(ऋणी या ऋणी के प्रतिनिधि का नाम और पता)

श्रीमन्,

हम ....

(क्रेता का नाम और पता)

के लेखे में ....

(पत्र व्यवहारी बैंक का नाम और पता)

द्वारा स्थापित एल० सी० संख्या .... के अन्तर्गत ......

.... को ....

(पते सहित संभरक का नाम) (भुगतान की तिथि)

को ....

(मुद्रा और धनराशि)

के भुगतान करने की सूचना भेजते हैं। हमारे भुगतान का कमीशन .... होता है।

(मुद्रा और धनराशि)

भुगतान यथाविशिष्टिकृत दस्तावेजों की सुपुर्दगी के मद्दे और .... को ....

(गन्तव्य स्थान) (पोतलदान का पत्तन)

से ....

(मात्रा आदि सहित माल का सामान्य विवरण)

के पोतलदान का साक्ष्य देते हुए उपर्युक्त साखपत्र के नियम और शर्तों के अनुसार सम्पन्न हुआ था।

समुद्री दस्तावेज हमारे ऊपर उल्लिखित पत्र व्यवहारी बैंक के पास भेज दिये गए हैं। संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

....

(वाणिज्यक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 85-ITC(PN)/84-85

New Delhi, the 21st February, 1985

Subject : Licensing Conditions in respect of imports of ds and services under the Yen credit of Yen 10.2 Billion for the implementation of the Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

File No. IPC/23(7)/84-85 :—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the 10.2 Billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY PUBLIC NOTICE NO. 85-ITC(PN)/84-85 DATED 21ST FEBRUARY, 1985

Licencing Conditions in respect of Imports of Goods and Services under the Yen credit of Yen 10.2 Billion for the Implementation of the Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) Extended by the overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan

Section I—General Conditions

I. (i) The Yen Credit of Yen 10.2 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of FACT is untied in favour of developing countries including India and Japan. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I. (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only or such items and for such value as have been sepecifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 10.2 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P25". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to FACT, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I.(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of FACT on CIF basis.

I.(iv) Depending on the convenience of FACT more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 10.2 billion (CIF) as specified at (i) above.

I.(v) Import licence(s) will be issued with an initial validity period of 24 months. The extension of the validity of the Import Licence, may on application by FACT, be granted for a further period of 12 months. Requests for further extension/issue of fresh Import licence, if any, should be referred to the Deptt. of Economic Affairs (Japan Section).

I.(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on CIF basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licence on the Overseas supplier duly signed by the latter on purchase contract duly signed by both, the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied, with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows:

"......Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of.......................".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-88.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II. (i) The CIF value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The procurement of all goods and services except consulting services to be financed under the OECF Yen Credit for Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project shall be made in accordance with the Guidelines attached as Annexure II with the following supplemental stipulations:—

(a) The importer shall procure goods and services to be financed out of the proceeds of the loan through Formal Open International Tendering with prequalification.

(b) The importer shall obtain the prior approval of the Fund if the importer wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering submitting to the Fund an Application for Approval of Procurement Method(s) signed by a duly authorised person

(c) Before advertisement and/or notification of pre-qualification, the importer shall submit to the Fund for its approval, the prequalification documents. When the prequalified firms have been selected, the importer shall submit to the Fund, for its approval the list of those firms and report on the selection process giving the reasons for the selection made, attaching all relevant documents.

(d) (i) In case of procurement of goods and services of value not less than one hundred million Yen (Y100,000,000.), the importer shall, prior to inviting bids submit to the Fund for its approval all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding. In this case, the importer shall, prior to issuing a notice of award to the successful bidder, submit to the Fund for its approval the analysis of bids and the proposal for award.

(ii) In case of procurement of goods and services of value less than one hundred million Yen (Y 100,000,000.) but not less than twenty million Yen (Y 20,000,000.), the importer shall not be required to obtain prior approval of the Fund to the respective bidding but shall submit all the documents relevant to the bidding subsequent to placement of order.

(iii) In case of procurement of goods and services of value less than twenty million Yen (Y20,000,000), will be left to the prudent judgement of the importer, provided however, procurement of which will not exceed a total of four hundred million Yen (Y400,000,000.).

(iv) The last three lines in Section 4.09 of the Procurement Guidelines shall be disregarded in cases of above (ii) and (iii).

(v) The documents stated above will be submitted by the importer (FACT) to the Department of Economic Affairs, in duplicate, for obtaining approval of OECF.

(vi) The full paragraph of Article V of the Procurement Guidelines shall be disregarded.

(e) The bidding documents shall state which are the eligible source countries.

(f) In the evaluation of bids, any bidder shall not be granted a margin of preference.

(g) It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Japan Section) to the OECF only after obtaining the OECF approval of the documents referred to above.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen credit (Project Aid) No. ID-P25 for 1983-84 the details of which are given in Section VII below.

II(iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior

approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

The Supplier shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty percent (30%) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae:

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

(In case of Indian Supplier, Ex-factory Price shall be adopted) II (vii) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in————(name of eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100\text{"}$$

(Where applicable Ex-factory Price)

"I, the undersigned, hereby certify that————(Name of company) has been incorporated and registered in ————(name of eligible source country), and is controlled by nationals of————(name of eligible source countries concerned)."

Section III — Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract.

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) dated the 11th September, 1984 concerning the Yen Credit No. ID-P25 (Project Aid) for Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of FACT and will be suject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.25 dated 11th September, 1984 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii) above.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both FACT and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with the two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the content of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P25 (Project Aid) for Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project of FACT.

Section V —Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Minister of Finance, Department of Economic Affairs, FACT and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the FACT should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure V (for imports) or Annexure VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, FACT, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per, Annexure V (applicable to imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the overseas supplier/importer. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the

overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers-bank in India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V(v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE attached hereto as annexure VII with the following supplemental stipulation:

The exchange rate of Indian Rupee per Japanese Yen shall be as ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07. of the Guidelines. Along with the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognized bank certifying the Yen-Rupee exchange rate on the day of bid opening.

Section VI—Employment of Consultants:

Consultants shall be employed in accordance with "Guidelines for the Employment of Consultants by OECF Borrowers" attached to the Loan agreement with the following supplemental stipulations:

(i) The consulting firms shall satisfy all of the following conditions:

(a) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the Eligible Source Countries;

(b) A majority of the full-time directors shall be national of the Eligible Source Countries;

(c) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source Countries.

(ii) The importer shall submit to the Fund immediately after the conclusion of the loan agreement for its review the copies of:—

(i) Terms of Reference

(ii) Short List of Consultant

(iii) Letter of Invitation

(iv) Evaluation Report including Summary Evaluation Sheet.

(iii) The following declaration as to the eligibility of the Consultant, signed and dated by the Consultant, shall be attached to each contract;

"I, the undersigned, hereby certify that———(name of firm) has been incorporated and registered in——————(name of the Eligible Source Country concerned), and is an eligible consulting firm, ——per cent (%) of the subscribed shares being held by nationals of——————(name of the Eligible Source Countries concerned) and ———per cent(%) of the full time directors being nationals of———(name of the Eligible Source Countries concerned)".

(iv) The contract price shall be stated and payable in Japanese Yen. The contract shall be subject to the approval of the Government of India (OECF).

(v) The documents stated above for review/approval of the Fund shall be submitted by the importer to the Fund through the Department of Economic Affairs indicating the following:

(a) Percentage of the subscribed shares held by nationals of Eligible Source Countries.

(b) Percentage of the full-time directors who are nationals of the Eligible Source Countries.

Section VII—Responsibility for rupee deposit:—

VII(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @12% per annum for the first 30 days and @18% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India.

Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over the to importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under excepitonal circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances--843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan agreements" Loan from the Government of Japan——10.2 Billion Yen Credit No. ID-P.25 for the Ammonium Sulphate and Caprolactam Plant Project.

VII(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000009 on the right hand corner of the Challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VII (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above samy be-requested by the Government of India, Ministry of

Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the inform ... prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(P.N. 71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the Rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA). New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement Project Aid No. ID-P.25 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures

Annexure-I	List of eligible source countries
Annexure-II	Guidelines for Procurement
Annexure-III	Request for issue of Letter of Authority.
Annexure-IV	Form of Letter of Authority
Annexure-V	Form of Letter of Credit (Applicable to imports).
Annexure-VI	Form of Letter of Credit (Applicable to Services).
Annexure-VII	Reimbursement Procedure (Applicable to Indian Suppliers)

ANNEXURE-I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tomo and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afaras and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Cont
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Costa Riça
- Cuba
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guadeloupe
- Gautemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Martinique
- Mexico
- Netherlands AnTilles
- Nicaragua
- Panama
- St. Pierre & Miquelon
- Trinidad and Tobago

1. Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
2. Including the following isl nds : Ascension, Tristanda Inaccessibles, Nightingale, Gough.
3. Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

AMERICA, North & Central (Continued)

West Indies (Br.) n.i.e.
- (a) Associated States (1)
- (b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Falkland Islands French Guiana
- Guyana
- Paraguay
- Peru
- Surinam
- Uruguay

V. ASIA, Middle East
- Bahrain
- Israel
- Jordan
- Lebanon
- Oman
- Syrian Arab Republic
- United Arab Emirates (3)
- Yemen Arab Republic
- Yemen, Peoples D.R. (4)

VI. ASIA, South
- Afghanistan
- Bangladesh
- Bhutan
- Burma
- India
- Maldivls
- Nepal
- Pakistan
- Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
- Brunei
- Hong Kong
- Khmer Republic
- Korea, Republic of
- Laos
- Macao
- Malaysia
- Phillippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Timor
- Viet-Nam, Rep. of
- Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
- Coek Islands
- Fiji
- *Gilbert & Ellice Is.*
- French Polynesia (5)
- Nauru
- New Calendonia
- New Hebrices (Br. and Fr.)
- Niue
- Pacific Islands (US) (6)
- Papua New Guinea
- Solomon Islands (Br.)
- Tonga
- Wallis and Futuna
- Western Samoa

IX. EUROPE
- Cyprus
- Gibraltar
- Greece
- Malta
- Spain
- Turkey
- Yugoslavia

1. Main islands : Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe) , Nevis-Anguilla, St. Lucia and St Vincent.
2. Main islands. Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
3. Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
4. Including Aden and various sultanates and emirates.
5. Comprising the Society of Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
6. Trust Territory of the Pacific Islands: Caropline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member or Association Countries of OPEC
- Algeria
- Bolivia
- Libyan Arab Republic
- Gabon
- Nigeria
- Ecuador
- Venezuela
- Iran
- Iraq
- Kuwait
- Qatar
- Saudi Arabia
- Abu Dhabi
- Indonesia

ANNEXURE—II

GUIDELINES FOR PROCUREMENT UNDER THE LOAN

Table of Contents

Article Number	Title	Page
Article I		
	General	31
Section 1.01.	Introduction	31
Section 1.02.	Procedures other than Formal Open International Tendering	31
Section 1.03.	Type and Size of Contracts	31
Article II	Advertising and Prequalification	31
Section 2.01.	Advertising	31
Section 2.02.	Prequalification of Bidders	31
Article III	Bidding Documents	31
Section 3.01.	References to the Fund	31
Section 3.02.	Bid Bonds or Guarantees	31
Section 3.03.	Conditions of Contract	32
Section 3.04.	Clarity of Specifications	32
Section 3.05.	Standards	32
Section 3.06.	Use of Brand Names	32
Section 3.07.	Expenditures under Contracts	32
Section 3.08.	Pricing of Bids	32
Section 3.09.	Contract Price	32
Section 3.10.	Price Adjustment Clauses	32
Section 3.11.	Advance Payments	32
Section 3.12.	Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	32
Section 3.13.	Insurance	33
Section 3.14.	Liquidated Damage and Bonus Clauses	33
Section 3.15.	Force Majeure	33
Section 3.16.	Language Interpretation	33
Section 3.17.	Settlement of Disputes	33
Article IV	Bid opening, Evaluation and Award of Contract	33
Section 4.01.	Time Interval between Invitation and Submission of Bids	33
Section 4.02.	Bid Opening Procedures	33
Section 4.03.	Clarification or Alteration of Bids	33
Section 4.04.	Procedures to be Confidential	33
Section 4.05.	Examination of Bids	33
Section 4.06.	Postqualification of Bidders	33
Section 4.07.	Evaluation and Comparison of Bids	33
Section 4.08.	Rejection of Bids	34
Section 4.09.	Award of Contract	34
Article V	Guidelines for Use of Consultants	34
Section 5.01.	Independence of Consultants	34
Section 5.02.	Selection of Consultants	34
	Attachment: Eligible Source Countries	

GUIDELINES FOR PROCUREMENT UNDER THE LOAN

Article I

General

Section 1 01. Introduction

(a) These Guidelines set forth the rules which THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to b e use with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries") The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires its borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that Project

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any project rests with the owner of the project Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well The rights and obligations of the borrower vis-a-vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund

Section 1 02 Procedures other than Formal Open International Tendering

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following

(a) Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited, e g of spare parts for existing equipment.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved

(d) Where, in addition to the cases (a), (b), and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate.

(i) Formal Selective International Tendering.

(ii) Informal International Competitive Procurement

(iii) Direct Purchases from a Single Supplier

Section 1 03 Type and Size of Contracts

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lumpsum price or a combination of both for different portions of the contract according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a special ze d character and such division is likely to be advantageous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided

Single contracts for engineering equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country

Article II

Advertising and Prequalification

Section 2 01 Advertising

On all contracts subject to formal open international tendering, invitations to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country Copies of the invitation to bid (or the advertisement) should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries

Section 2 02 Prequalification of Bidders

In case the Fund recognizes necessity of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions Abbreviated specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid

Article III

Bidding Documents

Section 3 01 References to the Fund

Bidding documents should refer to the following language " (name of borrower) has received (or in appropriate cases 'has applied for) a loan from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in toward the cost of (name of project)"

Section 3 02 Bid bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual, requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders Bid bonds or guarantees should b[illegible] to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened

Section 3.03. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

Section 3.04. Clarity of Specifications

Specifications should set forth as clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should indentify the main factors or bases which will be taken into account in evaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provisions for permissible imports from non-eligible source countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1 02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

Section 3 05. Standards

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

Section 3.06. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products or a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 3.07. Expenditures under Contracts

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the contract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in this statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning the geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

Section 3.08. Pricing of Bids

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese Yen provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

Section 3 09. Contract Price

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

Section 3.10. Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards) in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labor and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

Section 3 11. Advance Payments

The percentage of the total payment to be made in advance upon effectuation of the contract for mobilization expense should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

Section 3.12. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

Section 3.13. Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

Section 3.14. Liquidated Damage and Bonus Clauses

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

Section 3.15. Force Majeure

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract).

Section 3.16. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

Section 3.17. Settlement of Disputes

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

Article IV

Bid Opening, Evaluation and Award of Contract

Section 4.01. Time Interval Between Invitation and Submission Bids

The time allowed for preparation of bid will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding. Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each project.

Section 4.02. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

Section 4.03. Clarifications or Alteration of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

Section 4.04. Procedures to be Confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

Section 4.05. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains in admissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

Section 4.06. Postqualification of Bidders

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

Section 4.07. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borrower or by its consultants.

Section 4.08. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

Section 4.09. Award of Contract

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bids and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

Article V

Guidelines for the Use of Consultants

Section 5.01. Independence of Consultants

Consultant firms employed in relation to a project financed under the Funds loan shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender document prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services step shall be taken not only ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

Section 5.02. Selection of Consultants

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection, the borrower shall consider a reasonable number of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received, should first be qualitatively compared, i.e., with respect to plans of approach, schedules, experience & capabilities of personnel to be assigned; after selection of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price & other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

ANNEXURE—III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi 110001.

Sub : Import of————————from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 25 (Project Aid for 1983-84)

Sir,

In connection with the import of——————— from——————————under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 25 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the——————————(name of the Bank) which should be the same as given in (b) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods

(e) Origin of the goods

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross C & F value of contract (in Yen)

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net C & F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas Supplier

(i) Nationality

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importers/or Supplier.

(s) Undertaking by the importer:—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the Payments made to the suppliers.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject: Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P.25—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated———entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen——————————
favouring M/s.——————————————
as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier/Importer and may, therefore be recovered from the Supplier/Importer directly No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto————

Yours faithfully,

(Account Officer)

Copy forwarded to.—

1. Importer——————with reference to their letter No.——————dated——————————

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importer's Banker——————They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 31-ITC (PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74—ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103/ITC (PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K—Deposits & Advances—843—Civil Deposits-Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/ Loan Agreements"-Loans from the Government of Japan 10.2 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.25 for 1983-84.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132 ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the a dvice notes recved from the Bank of Inbia, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE V

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date :

To————— This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.—

————— dated—————

(Name and address of the Supplier between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.........in your favour for account of———for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of—————— ——————(Say yen

available by our drafts at sight for full invoice val
us, to be accompanied by the following documer

Signed commercial invoice in full set of clean on
bills of lading made out to order and blank e
marked "Freight and Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of
shipped referreing to Contract No.————(if any)
Partial shipments are - — — —permitted. Tran
is———— permitted.

Bills of lading must be dated not later than— —
Drafts must be presented for negotiation not late

All Drafts and documents under this credit mus
"Drawn under——————irrevocable credit
dated——and Import Reference No.(s) ————

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn u
compliance with the terms of the credit shall be duly
due presentation and delivery of documents to th

Unless otherwise expressly stated, this credit i
"Uniform Customs and Practice for Documen
(1974 Revision), International Chamber of Comme
No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank.

1. After obtaining the reimbursement for o
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERAT
in accordance with the provisions of the Letter of
issued thereby under the above-mentioned Loan A
undertake to remit the amount of the drafts in acc
instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the dr
complete set of documents to us together with t
stating that the remaining documents have been air
to...............................

3. All banking charges under this credit are for t
importer/Supplier.

Yours faith

....

(a commerci

By.————

(Authorised

PAYMENTS TERMS

This payment terms constitutes an integral part
of Credit No...............................

I. Initial Payment

Amount Yen——————————

being——————% of the

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount: Yen——————————

being——————% of th
contrac

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Yen——————————

being——————% of the
contract

Note : This attached sheet is not requird in case of
against shipping documents.

ANNEXURE VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicablo for Service)

To

Date :

———————— This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.—— dated————————,

(Name and address of the Supplier) between (Borrower) and THE OVER SEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that wo have opened our irrevocable Credit ————in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an agrregatc amount of Yen————(Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to Project). Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in comliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its d esignated authority) in accorcdance with the form attached heret o, payment(s)under this credit must be made in accordance wit h the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.

2.'After obtaining the reimbursement for four payment from the OVERASES ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, wo under take to remit the amou nt of the drafts in accoradance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

————————

(a commercial bank)

By :————————

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No————————.

I. Initial Payment

Amount Yen————————

being————————% of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Agreement amount: Yen————————

being % of the total contract price to be paid as follows :

		Amount due	Latest presentation date
1st Instalment:	Yen	————	————
2nd Instalment	Yen	————	————

Required document : a copy of State of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performnce

Date :

Ref. No.

To ————

————————

————————

(Name and address of the (Supplier)

Re: Letter of Credit No.————————dated——— issued by———————— for Yen————————in favour of ————————concerning———————— Project under Loan Agreement No.————————.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitled————to receive the sum of Yen (Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.————————, dated ————————' between ————————and————————.

————————

(Borrower)

By :————————

(Authorized Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

ANNEXURE-VII

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND REIMBURSEMENT PROCEDURE

1. This procedure is to be followed in cases where expenditures eligible for the Fund's financing, have already been incurred. Such expenditures may represent :

(i) payments to supplier of specified goods; or

(ii) payments for services rendered by consultants or for services such as transportation, insurance, etc., or

(iii) payments under civil works (engineering, construction, and installation) contracts.

These payments may have been made under a letter of credit or otherwise. Also, depending upon the terms of relevant contracts, such payments may represent the final settlement payments, or down payments or part (progress) payments against manufacture of goods, periodical or partial rendering of services or periodical progress of work under civil works contracts.

2. (1) Reimbursements for expenditures described above may be claimed by sending the Request for Reimbursement in the Form OECF-RMP attached hereto.

In cases where the Fund has agreed to provide, out of the Loan, foreign exchange against expenditure in local currency (i.e. currency of the country of the Borrower), the Request shall be made in terms of Japanese Yen and the amount claimed shall be the agreed portion of local currency expenditures actually incurred. The exchange rate of such local currency per Japanese Yen shall be agreed upon separately between the Fund and the Borrower.

Care should be taken to ensure that the Request reaches the Fund at least ten (10) days before the date on which reimbursement is made.

(2) The Request for Reimbrusement under this Procedure including the Summary Sheet(s) attached thereto shall be presented in two copies to the Fund and both copies shall be signed by the Borrower or its designated authority. The following documents shall be furnished (in one copy only) in support of the Request. It is not necessary to furnish original documents; a photostat copy will suffice.

(a) For payments to suppliers against delivery shipment of goods—

(i) Supplier's invoice specifying the goods, with their quantities and prices, which have been or are being supplied/shipped;

(ii) bill of lading or similar document evidencing shipment delivery of the goods listed on the invoice;

(iii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and the amount of payment would also suffice.

(b) For payments to suppliers made prior to delivery/shipment of goods—

(i) the contract or purchase order under which payment has been made ;

(ii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and amount of payment would also suffice.

(c) For payments for consultant's services—

(i) the contract with consultants detailing the nature and duration of services, to be rendered and terms of payment;

(ii) the claim put in by the consultants indicating, in sufficient details, the services rendered, period covered and amount payable to them;

(iii) cancelled bank cheque, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made to the consultants; a simple receipt from the consultants showing the date and amount of payment would also suffice.

(d) For payments for other services rendered—

(i) the bill, claim or invoice specifying the nature of services rendered and amounts charged therefor.

(ii) cancelled bank cheque, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made; a simple rece pt showing the date and amount of payment would also suffice.

If such services relate to importation of goods (e.g. freigh insurance payments) adequate references shall be given to enable the Fund to relate each of these items to the specific goods, the cost of which has been or is to be financed by the Fund.

(e) For payments under civil works contracts—

(i) the contract detailing the construction/engineering work to be performed and terms of payment therefor;

(ii) the claim, bill or invoice of the contractor showing, insufficient detail, the work performed by the contractor and amount claimed therefor;

(iii) a certificate to the effect that the work performed by the contractor is satisfactory and in accordance with the terms of the relevant contract, such certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project.

(iv) cancelled bank cheque for similar document evidencing the date and amount of payment made to the contractor, a simple receipt from the contractor showing the date and amount of payment would also suffice.

(3) In all the above cases, if payment has been made through a commercial bank under a lettter of credit, a report from such bank in the Form OECF-RMP-1 attached hereto, can be furnished in lieu of bill of exchange, crossed cheque etc.

3. When the Fund, after examination, finds the Request for Reimbursementt in order and in conformity with the provisions of the Loan Agreement and the terms of the Contract concerned the Fund shall reimburse the requsted amount in Japanese Yen by paying it into a non-resident free yen account to be opened by the Borrower with an authorised foreign exchange bank in Tokyo, in accordance with the relevant laws and regulations in Japan, on the date as specified in the Request. Such reimbursement shall constitute a disbursement of the Loan.

4. It may be noted that in all the cases described in paragraphs 2(2) above, the Fund's disbursements are to be made against evidence of specific expenditures incurred. It is, however, possible that the Fund may have agreed to disburse a specified portion of the loan amount on the basis of physical progress of work. Evidence of actual expenditures in specific currencies being not available, in such cases, the Fund will accept the Request for Reimbursement expressed in Japanese Yen. Each Request unless otherwise required or agreed by the Fund, shall be supported by a certificate on the lines indicated below. Part I of the certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project, Part II of the Certificate shall be signed by the person(s) authorised to sign the Request on behalf of the Borrower.

CERTIFICATE (PART I)

Date :

It is certified that as of————, the progress of the work relating to————————————was————————per cent.

Signature : ————————————

Name : ————————————

Title of designation :

CERTIFICATE (PART II)

Date :

The amount of the Fund's loan on the basis of progress of work is Yen————(Say Yen———————); on the basis of percentage certified in Part I above, the amount due for disbursement of the loan comes to Yen———(Say Yen——— An amount of Yen———(Say Yen————) has already been disbursed under the Request for Reimbrusement upto and including the Request No.————and the balance of Yen——— (Say Yen——————) is now requested to be disbursed.

———————————

(Name of Borrower)

By : ———————————

(Authorised Signature)

Form : OECF-RMP

Request for Reimbursement

Date :

Loan No.

App Serial No.

To : THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND TOKYO, JAPAN

Attn : Manager, Loan Department

Gentlemen :

1. Pursuant to the loan agreement No. ———dated——— between THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter referred to as the Fund) and (Borrower), the undersigned hereby requests for reimbursement under said Agreement, of the sum of Yen————(Say Yen————) in reimbursement of expenditures as described in the attached Summary Sheet(s)

2. The undersigned has not previously requested for reimbursement of any amounts from the Loan for the purpose of reimbursing or of meeting the expenditures described in the attached Summary Sheet(s) The undersigned has not obtained nor will obtain funds for such purpose out of the proceeds of any other loan, credit or grant available to the undersigned except shot term loans or credits, if any, established in anticipation of the reimbursement requested for herein and to be repaid pro-tanto with the funds reimbursed hereunder and any charges, commission or interest paid or payable under such anticipatory short-term credits are not included in the amount herein requested to be reimbursed.

3. The undersigned certifies that—

(a) the expenditures, hereby sought to be reimbursed, were made for the purposes specified in the Loan Agreement;

(b) the goods and services purchased with these expenditures have been procured in accordance with the applicable procurement procedures agreed with the Fund pursuant to the said Loan Agreement and the cost and terms of purchase thereof are reasonable ;

(c) the said goods and services were or will be supplied by the supplier(s) specified in the attached Summary Sheets) and were or will be produced in (or, in the case of services, supplied from) the eligible source country (countries) for the Fund's loan.

(d) as of the date of this request there is no existing default under the Loan Agreement, nor, to the best of the undersigned's knowledge and belief, under the Guarantee, if any.

4. Please reimburse the amount requested for herein by paying into the non-resident free yen account of

——————————With——————————

(payee) (name and address of an authorized

—————————— ——————on ——————

foreign exchange bank in Tokyo) (date of reimbursement)

5. This request consist of————page(s) and——————
(number) (number)
signed and numbered summary sheet(s).

———————————

(Name of Borrower)

By:———————————

(Authorised Signature)

Form : OECF—RMP—SS

Date:

Loan No.

App. Serial No.

Summary Sheet No. ————————————————————

No. and Title of Category/Sub-category ————————————————————
[for more than ten items use additional sheet(s) with the number]

Item No.	Delivery date	Country of origin	Description of goods and services	No. and date of supply contract or purchase order	Name and address of supplier	Date of payment	Amount paid		Amount Claimed	Nature of payment made	Remarks
							In local currency	Exchange rate (per Yen)	Agreed portion (9/8%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Total											

Note: Column 9 is to indicate, against each item, whether the payment is a down-payment, or an instalment payment (if so, the number of instalment) or the final payment in full settlement.

————————————
(Name of Borrower)

By: ————————————
(Authorised Signature)

OECG-RMP-1

COMMERCIAL BANKS REPORT OF PAYMENT

Date:

To ____

(Name and address of Borrower or Borrower's Representative)

Gentlemen:

We report having paid the sum of ____
(currency)

______________________________ on ______________________________
(and amount) (date of payment)

to ____

____
(name of supplier with address)

under L/C No.______________________ established by ______________________
(name and address

____
of correspondent bank)

for account ____
(name and address

____
of buyer)

Our payment commission amounts ____.
(currency and amount)

Payment was effected against delivery of the documents as specified in and in accordance with the terms and conditions of the Letter of Credit mentioned above evidencing shipment of ____
(general description of the merchandise including the quantity, etc.),

______________________________ from ______________________________
(port of shipment)

to ______________________________.
(destination)

Ocean documents have been forwarded to our above-mentioned correspondent bank. Copy of the supplier's invoice is attached.

Yours truly,

____
(a commercial bank)

By: ______________________
(Authorised Signature)

1597GI/84—6

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985